कार्यालय अधिष्ठाता, छात्र कल्याण
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 25 /छात्र कल्याण/ 2018 बिलासपुर दिनांक 31/01/18

प्रति,

संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
समस्त विद्यापीठ एवं समस्त शिक्षण विभाग
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छ.ग.

विषयः– विद्या परिषद द्वारा अनुमोदनार्थ गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद 2017–18 हेतु छात्रों के नामांकन प्रदान करने बाबत ।

महोदय/महोदया,

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (2017 में यथा पुनरावलोकित एवं संशोधित) कंडिका 16 के अनुसार छात्र परिषद हेतु विद्या परिषद के द्वारा 20 छात्रों का नामांकन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु आपके कार्यालय से निम्नानुसार जानकारी वांछित है।

1. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (2017 में यथा पुनरावलोकित एवं संशोधित) की कंडिका 9 के अनुसार अर्हताधारी एवं कंडिका 16.1.1 एवं 16.1.2 के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/ छात्रा का नाम।
2. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (2017 में यथा पुनरावलोकित एवं संशोधित) की कंडिका 9 के अनुसार अर्हताधारी एवं कंडिका 16.1.3 के अनुसार सर्वोच्च अंक प्राप्त शोध छात्र/छात्रा का नाम।
3. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (2017 में यथा पुनरावलोकित एवं संशोधित) की कंडिका 9 के अनुसार अर्हताधारी एवं कंडिका 16.2 के अंतर्गत पात्र छात्रों के आवेदन वांक्षित प्रमाण पत्रों की संबन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छाया प्रतियों के साथ।
4. गुरू घासीदास विश्वविद्यालय छात्र परिषद विनियम 2011 (2017 में यथा पुनरावलोकित एवं संशोधित) की कंडिका 9 के अनुसार अर्हताधारी एवं कंडिका 16.3 के अंतर्गत पात्र छात्रों के आवेदन एवं वांक्षित प्रमाण पत्रों की संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सत्यापित छाया प्रतियों के साथ।

नोटः–

1.समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्तानुसार बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 के अनुक्रम में विभागीय अभिलेखो के आधार पर सूंची संबन्धित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को दिनांक 06.02.2018 को 3 बजे तक प्रेषित करेगें।

2.समस्त विभागाध्यक्ष उपरोक्तानुसार बिन्दु 3 एवं 4 के अनुक्रम में संलग्न प्रपत्र में छात्रों से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त संबंधित विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष को दिनांक 06.02.2018 एवं समय 3.00 बजे प्रेषित करेंगे।

3.विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष (कंडिका 16.1, 16.2, तथा 16.3 के अंतर्गत) समस्त अभिलेखों के परीक्षणोपरांत अधिष्ठाता छात्र कल्याण कार्यालय में दिनांक 07.02.2018 सायं 3 बजे तक प्रेषित करेंगे।

4.निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त तथा मतदाता सूची में भाग तथा सरल क्रमांक के बिना, बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 की सूची तथा बिन्दु क्रमांक 3 एवं 4 के लिये नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र के बिना अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में स्वीकार नहीं किये जायेगें ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

पृ0क0 26 /छात्र कल्याण/ 2018 बिलासपुर, दिनांक 31/01/18

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदया/कुलसचिव के सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्राक्टर,गुरू घासीदास विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर सूचनार्थ एवं विश्वविद्यालय की वेबसाईड मे अपलोड करने बाबत कार्यवाही हेतु ।

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण